न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजगढ, झुंझुनूं (राज.)
पीठासीन अधिकारी – आशीष जयपाल (आर.जे.एस.)

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या – 74/2022

CNR No. : **RJJH220006052022**

राजस्थान राज्य बनाम राजेश कुमार वगैरा

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 140/2014,

अपराध अन्तर्गत धाराः 51/63, 52 ए/68 ए, 37, 65 कॉपी राईट एक्ट 1957

भाग–प्रथम

A

परिवादी/ शिकायतकर्ता	योगेंद्र सिंह पुत्र श्री दुर्गा सिंह, निवासी बडागांव, थाना गुढ़ा गौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू राजस्थान।
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	1. राजेश कुमार पुत्र जगराम उम्र 28 साल निवासी जीणी थाना सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान। 2. अंकित शर्मा पुत्र पवन कुमार शर्म उम्र 20 साल निवासी वार्ड नंबर 13 सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान।
अधिवक्ता अभियुक्त	**श्री महेंद्र सिहाग**

B

अपराध की दिनांक	23–05–2014
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	23–05–2014
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	09–07–14
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	20–09–2017
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	13–12–2019
बहस अंतिम दिनांक	21–07–2026
निर्णय दिनांक	24–07–2026
दण्डादेश की दिनांक	––––––

C

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहों की सूची

अ–अभियोजन गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू. 1	विजेंद्र सिंह	पुलिस गवाह 161 दंड प्रक्रिया संहिता
पी.डब्ल्यू. 2	ऋषिपाल	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू. 3	विकास कुमार	गवाह 161 दंड प्रक्रिया संहिता
पी.डब्ल्यू.4	अमित कुमार	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.5	मोहनलाल गुर्जर	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.6	योगेंद्र सिंह	गवाह फर्द जब्ती एवं फर्द गिरफतारी (परिवादी)

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––		

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श</u>

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	फर्द जब्ती वाहन
02	प्रदर्श पी 02	नक्शा मौका घटनास्थल
03	प्रदर्श पी 03	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
04	प्रदर्श पी 04	फर्द गिरफतरी एवं जामा तलाशी राजेश कुमार
05	प्रदर्श पी 05	फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अंकित

06	प्रदर्श पी 06	लिखित रिपोर्ट
07	प्रदर्श पी 07	एफआई आर रिपोर्ट
08	प्रदर्श पी 08	आरएसआर इंवेस्टीगेशन कंपनी के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति
09	प्रदर्श पी 09	रजिस्ट्रेशन फॉर्म
10	प्रदर्श पी 10	निगमन का प्रमाण पत्र
11	प्रदर्श पी 11	आरएसआर कंपनी का टाईअप
12	प्रदर्श पी 12	आरएसआर कंपनी का टाईअप
13	प्रदर्श पी 13	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सर्टिफिकेट
14	प्रदर्श पी 14	कॉपीराइट परख इंटरप्राइजेज प्राइवेट कंपनी
15	प्रदर्श पी 15	पॉवर ऑफ अर्टोनी

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	–	–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	––

निर्णय

दिनांक 24–07–2026

01– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23–05–2014 को समय 5.20 पीएम पर श्री योगेंद्र सिंह पुत्र श्री दुर्गासिंह जाति राजपूत उम्र 24 साल निवासी बढ़ागांव थाना गुढ़ा ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह योगेन्द्र सिंह हाल आरएसआर एन्टी पायरेसी इन्वेस्टीकेशन में इन्वेस्टीकेशन ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। और उसका कार्य क्षेत्र पूर्ण राजस्थान राज्य है। सर्वे के दौरान पता चला है कि आपके थाना क्षेत्र में दुपीया डी. जे. साउण्ड सूरजगढ़ टोल के पास उसकी कम्पनियो के अनुबंधित गानों का बिना लाईसेंस व अनुमति पत्र के प्रसारण कर ब्रिकी कर रहा है। जिसमे उनकी कम्पनियो को रायल्टी का नुकशान उठाना पड़ रहा है। साथ राज्य सरकार को भी टैक्स

की हानी हो रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उचित कानूनी कार्यवाही कर हमारी मदद करे। इस ईत्तला की तस्दीक करने के लिये मन थानाधिकारी मोहन लाल उ०नि० मय श्री विजेन्द्र सिंह कानि 1030 श्री अमित कुमार कानि 496 मय जीप सरकारी के समय 5.25 पीएम पर थाना से रवाना होकर समय 5.30 पीएम पर रघुनाथपुरा टोल बुथ के पास पहुँचा तो एक पीकप गाड़ी न० आरजे 31 जी 6660 जिसमे डी. जे. साउड लगा हुआ मिला। गाड़ी के ड्राईवर सीट पर बैठा व्यक्ति का नाम पता पूछा तो अपना नाम राजेश कुमार पुत्र राम जाति जाट उम्र 28 साल निवासी जीणी थाना सूरजगढ़ का वो एक शक्स गानो को ओपरेट कर रहा है जिसने उसका नाम अंकित कुमार शर्मा पुत्र पवन कुमार शर्मा उम्र 20 साल निवासी वार्ड न० 13 सूरजगढ़ का होना बताया। जिसको डी. जे. साउंड का नाम पूछा तो धुपिया डी. जे. साउड सूरजगढ़ होना बताया। पीछे डाला में लगे डी. जे. साउड में तेज आवाज मे गाना कोठे चढ़ ललकारू चल रहा है। पीकप गाडी को चैक किया गया तो पीछे डाला में चार स्पीकर SETH कम्पनी के एक CPU Tech कम्पनी काए एक मोनिटर स्ळ कम्पनी का एक माउसए एक की बोर्ड Intec कम्पनी का एक स्म्पलीयर 3000 वॉट का कम्पनी का एक मिक्सर मशीन डीजे एमउ एक बिजली बोर्ड 13 पलक काए एक जरनेटर मय एनटीनेटर के वायरिंग लगी हुई है। रूबरू मीतबिरान के समक्ष राजेश कुमार व अंकित शर्मा को गानो को व्यवसायिक रूप से बजाने बाबत लाईसेंस पूछा तो नही होना बताया। RSR एन्टी पायरेसी के इन्वेस्टीकेशन ऑफिसर श्री योगन्द्र सिंह ने गानो को व्यवसायिक रूप में बजाने बाबत 200 रूपये नकद व 2300 रूपये साई निकालने के बाद देना तथा तय किया इस प्रकार राजेश कुमार व अंकित शर्मा द्वारा सार्वजनिक रूप मे गाड़ी पर डी.जे. साउण्ड लगा कर कम्पनी के गानो के ब्रिकी कर बजाना जुर्म धारा 37,51,52ए ,63,65, 68ए कापी राईट एक्ट 1957 का अपराध घटित होने पर दोनो शक्सो को जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। पीकप गाड़ी व डी.जे. साउण्ड मे लगे फिक्स उपकरणो को बतौर सबूत जब्त किया गया। उक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 37, 51, 52ए,63,65,68ए कॉपी राईट एक्ट 1957 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त विकास के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 37, 51, 52ए,63,65,68ए कॉपी राईट एक्ट 1957 का पेश किया जिस पर न्यायालय के द्वारा उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया।

02. दिनांक 20–09–2017 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त राजेश कुमार व अंकित शर्मा पर अपराध अंतर्गत धारा 51/63,52ए/68ए,37, 65 कॉपी राईट एक्ट 1957 कॉपी राईट एक्ट 1957 का पृथक से आरोप विरचित किया गया। सुन समझकर अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिये पृष्ठ संख्या 1 व 2 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ संख्या 2 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

04. अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किये गये। साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

05. बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करने का निवेदन किया। वही मुलजिम के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह तर्क दिया है कि प्रकरण में मुख्य गवाह द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। गवाहान ने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। तथा परिवादी विरोधाभासी कथन करता हैं इसलिये अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है, अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावें।

06. अभियोजन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए–

01. Sucha Singh VS State of Panjab AIR 2003 SC 3617
02. Babasahed Apparao Patil Vs State of Maharashtra 2008(15)
03. Chittarlal Vs State of Rajasthan AIR 2003 SC 3590
04. Mulla @ Anr Vs State of U.P 2010 Cr.LJ 1440 SC

07. **हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नप्रकार हैं–**

(1) क्या दिनांक 23–05–2014 को 05.30 पी.एम पर मौजा सूरजगढ़ में आर एस आर एंटी पायरेसी कंपनी से अनुबंधित गाने जिनका अभियुक्त को कॉपीराइट था। कॉपीराइट स्वामी की अनुज्ञप्ति के बिना डाउनलोड व रिकॉर्डिंग कर उनका प्रकाशन किया गया इस बाबत् कोई वैध लाईसेंस अथवा अधिकार पत्र अभियुक्त के पास नहीं पाया गया ?

(2) यदि हां, तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या होगा ?

08. अभियोजन पक्ष की और से परिक्षीत **गवाह पी.ड. 1 विजेंद्र सिंह** ने सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 23.05.14 को पुलिस थाना सुरजगढ़ में कांस्टेबल के पद पर था। उस थानाधिकारी श्री मोहनलाल के साथ वह व अमित कांस्टेबल आर एस आर एंटी पायरेसी इंवेस्टीगेशन ओफिसर योगेंद्र सिंह की इतला पर टोलबूथ रघुनाथ पुरा के लिए 5.25 पीएम पर थाना से रवाना हुए। जब 5.30 पीएम पर जब वह रघुनाथपुरा टोल बूथ पर पहुंचे तो वहां पर पीकअप नंबर आर जे 31 जी 6660 जिसमें डीजे साउंड लगा था। उसने मिली डाइवर सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने उसका नाम राजेश कुमार पुत्र जगराम जाति जाट उम्र 28 साल निवासी जीणी थाना सूरजगढ बताया व दूसरा व्यक्ति जो गानों को ओपरेट कर रहा था। ने उसका नाम अंकित शर्मा पुत्र पवन शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 20 साल निवासी वार्ड नंबर 13 सूरजगढ़ होना बताया था। डीजे साउंड का नामा धूपिया डीजे साउंड सूरजगढ़ था। पीछे डाला में डीजे साउंड में तेज आवाज में गाना

कोठे चढ़ ललकारू बज रहा था। गाडी को चैक किया तो पीछे डाला में 4 स्पीकर सेठ कंपनी के, एक सी पी यू टेक कंपनी का, एक मोनीटर एल जी कंपनी का, एक माउस व कीबोर्ड इनटेक्स कंपनी का, एक एम्पलीफायर 3000 वाट एम टेक कंपनी का, एक मिक्सर मशीन डीजे एम 3 एक बिजली बोर्ड 13 प्लेक का, एक जनरेटर मय एल्‌ओनेटर जिसमें वायरिंग लगी हुई थी। उक्म गाने को सार्वजनिक रूप से बजाने बाबत लाइसेंस पूछा तो नहीं होना बताया। मौके पर थानाधिकारी श्री मोहनलाल जी ने फर्द जब्ती पीकअप वगैरा प्रदर्श पी 1 तैयार की जिस पर एक से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिमानों को गिरफतार किया गया। दूसरे दिन आई ओ उदयसिंह जी ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 उसके व अमित कांस्टेबल के समक्ष तैयार किया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि स्पीकार कौनसी कंपनी का उसे नहीं पता एंप्लीफायर कौनसी कंपनी का था पत्रावली देखकर बता सकता है। वे थाने से 5.25 पीएम पर रवाना हुए थे।

09. **गवाह पी.ड. 2 ऋषिपाल** ने सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 23.05.2014 को थाना सुरजगढ़ में हैड कांस्टेबल के पद पर मालखाना इंचार्ज के रूप में कार्यरत था। उस दिन एफआईआर नंबर 140/14 में थानाधिकारी मोहनलाल जी ने प्रकरण के जब्तषुदा पिकअप गाडी नंबर आर जे 31 जी 6660 मय स्पीका, कीबोर्ड, बिजली का बोर्ड, माउस सीपीयू, पिक अप के आगे जनरेटर लगा हुआ जमा कराने हेतु उसे सुपुर्द किया। जिसे मालखाना में जमा कर मालखाना के रजिस्टर के क्रमांक 329–45/14 पर इंद्राज किया था। मूल रजीस्टर प्रति प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी क्रम संख्या, सी से डी माल का विवरण, ई सेएफ मुकदमा नंबर व सी से एच न्यायालय आदेष में गाडी सुपुर्दगी का विवरण अंकित है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 3 ए है जिस पर एक से बी क्रम संख्या, सी से डी जमा माल का विवरण है। इ से एफ मुकदमा नंबर व जी से एच न्यायालय आदेष के सुपुर्दगी का विवरण अंकित है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि मालखाना में माल जमा करवाने वाले के हस्ताक्षर नहीं है यह कहना सही है कि उसने फर्द जब्ती को देखकर मालखाना रजिस्ट्र का इंद्राज किया था। यह सही है कि जो प्रति जब्ती से मिली थी वह पत्रावली पर नहीं है।

10. **गवाह पी.ड. 3 विकास कुमार** ने सशपथ कथन किया है दिनांक 23.05.14 को शाम 5.20 पीएम की बात है वह उस समय आरएसआर एंटी पाइरेसी इंवेस्टीगेशन में कर्मचारी था। उस दिन सूरजगढ़ एरिया में टोल के पास बिना लाइसेंस के डीजे साउंड पिकअप में रखकर बिना लाईसेंस गानों का प्रसारण कर ब्रिकी कर रहे थे। उसने यह सूचना मोहनलाल एसएचओ सूरजगढ़ को दी थी जिस पर मोहनलाल , अमित कुमार, बिजेंद्र वह सरकारी जीप से मौके पर टोल बूथ रघुनाथपुरा पहूंचे तो एक पिकअप ने आरजे 31 जी 6660 में डीजे साउंड लगा हुआ था। वह दो व्यक्ति बैठे थे जिनमें चालक की सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम राजेश पुत्र जगराम निवासी जीणी व दूसरे व्यक्ति का नाम जो कि गानों ऑपरेट कर रहा था का नाम अंकित शर्मा पुत्र पवन शर्मा निवासी वार्ड नंबर 13 सूरजगझढ़

का होना बताया। उनके पास गाना चलाने का लाइसेंस नहीं था, बॉडी को चैक किया तो उसमें सीपीयू, मॉनीटर, माउस, की बोर्ड, 4 स्पीकर एम्पलीफायर, 13 प्लग का बिजली बोर्ड, सब जनरेटर मय एम्पलीफायर के वायरिंग लगी हुई मिली जिसे एसएचओ साहब ने जरिये फर्द जब्त किया था तथा उनके साथ योगेंद्र सिंह भी था, फर्द जब्ती प्रदर्श 1 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी समय मूलजिम राजेश को गिरफतार कर फर्द बनायी जो प्रदर्श 4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। तथा मूलजिम अंकित की फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 5 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रकरण काफी पुराना होने के कारण आज वह प्रकरण की वास्तविक तथ्या एवं परिस्थिायें से परिचित नहीं है।

11. **गवाह पी.ड. 4 अमित कुमार** ने सशपथ कथन किया है दिनाक वह दिनांक 23.05.14 को पुलिस थाना सुरजगढ मे कास्टैबल के पद पर नियुक्त था। उस दिन श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र दुर्गासिंह जाति राजपूत निवासी बडागाव हाल इन्वेटीगेशन ऑफीसर आर एस आर एन्टी पायरेसी कम्पनी सम्पूर्ण राजस्थान ने उपस्थित थाना होकर श्री मोहनलाल एस एच ओ साहब को एक प्रार्थना पत्र लिखित मे पेश किया कि वह आर एस आर एन्टी पायरेसी कम्पनी में इन्वेस्टीगेशन आफीसर के पद पर सम्पर्ण राजस्थान में कार्यरत है आपके थाना क्षेत्र मे धुपिया डीजे साउण्ड सूरजगढ रघुनाथपुरा टोल बूथ के पास बिना लाइसेंस के डीजे साउण्ड पर गाने बजाकर प्रसारण कर बिक्री कर रहा है जिसकी कार्यवाही की जावे। जिससे कंपनी को हानी हो रही है व सरकार को टेक्स की हानी हो रही है। जिस पर थानाधिकारी मोहनलाल पोषवाल एस आई के साथ मै व विजेन्द्र कास्टेबल मय वाहन सरकारी व इन्वेस्टीगेशन आफीसर योगेन्द्र सिंह के मुताबिक सूचना के थाने से समय 5.25 पी एम पर रवाना होकर समय 5.30 पी एम पर रघुनाथपुरा टोलबुथ पर पहुंचे तो एक पीकअप गाडी न० आरजे 31 जी 6660 मे डीजे साउण्ड बज रहा था। पीकअप गाडी के चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम राजेश कुमार पुत्र श्री जगराम जाति जाट निवासी जीणी होना बताया व डीजे साउण्ड को कोपरेट करने वाले व्यक्ति ने उसका नाम अंकित शर्मा पुत्र पवन शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न० 13 सूरजगढ़ होना बताया। डीजे साउण्ड मे गाना कोठे चढ ललकारू चल रहा था। पीकअप के पीछे डाला में 4 बडे स्पीकर सीट, एक सी पी यू टेक कमपनी का एक मोनीटर एल जी कम्पनी का एक माउस, एक कीबोर्ड इन्टेक्स कम्पनी का, एक एम्पलीफायर 3000 वाट का एक मिक्सर मशीन व एक बिजली का बोर्ड 13 प्लग का व एक जरनेटर मय एल्टीनेटर के वायरिंग लगे हुए मिले जिस पर शख्स राजेश कुमार व अंकित शर्मा को इस प्रकार डीजे साउण्ड मे गानो का व्यवसायिक रूप से बजाने बाबत लाइसेंस और अनुज्ञा पत्र बाबत पूछा तो नही होना बताया व इन्वेटीगेशन आफीसर श्री योगेन्द्र सिंह ने उक्त दोनो को व्यवसायिक रूप से गाने बजाने हेतु 200 रूपए बतोर साईपेटे देना व 2300 रूपए साई निकालने के बाद देना तय होना बताया। जिस पर दोनो शख्सान का उक्त कृत्य धारा 37,51,52ए,63,65,68ए कॉपी राइट एक्ट 1957 के खिलाफ वर्जी पाए जाने पर शख्सान के कब्जे मे मिले डीजे

साउण्ड सिस्टम मय पीकअप गाडी के जरिए फर्द मोके पर जब्त किए गए। जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 मोके पर उसके सामने बनाई जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। बाद जब्ती कार्यवाही मुलजिम राजेश कुमार को जरिए फर्द प्रदर्श पी 4 उसके सामने एस एच ओ मोहनलाल ने गिरफतार किया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम अंकित की फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 5 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसके पश्चात मोके पर कार्यवाही की जाकर वापसी थाना आए। फर्द जब्ती पर थानाधिकारी महोदय ने अभियोग दर्ज किया तथा जब्तशुदा माल जमा मालखाना करवाया। दिनांक 24.05.2014 को अनुसंधान अधिकारी श्री उदय सिंह ए एस आई ने घटनास्थल का नक्शा मोका प्रदर्श पी 2 उसके और विजेंद्र कास्टैबल की उपस्थिती मे मुर्तिब किया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि डीवीडी, पैनड्राइव सीडी जब्त नहीं की। कोई भी यंत्र इनके बिना नहीं बजता है, परंतु सीपीयू से डाउनलोड हो तो बजता है।प्रदर्श पी 1 में जब्त किया गया सीपीयू आराम से बाजार में मिल सकता है। कंपनी द्वारा सीपीयू में गाने डाउनलोड नहीं किए गए। बिना एक्सपर्ट के द्वारा कोई यह नहीं बता सकता कि गाने सीपीयू द्वारा डाउनलोड थे या किसी व्यक्ति द्वारा। घटनास्थल भीडभाड वाला इलाका था। प्रदर्श पी 1 पर हमने कोई स्वतंत्र गवाह ना बनाया हो। प्रदर्श पी 1 पर मैंने थाने पर हस्ताक्षर किए थे।

12. **गवाह पी.ड. 5 मोहनलाल गुर्जर** ने सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 23.05.14 को पीएस थानाधिकारी के पद पर था। उस दिन योगेंद्र सिंह निवासी बड़ा गांव में उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की ओर बताया कि वह आरएसआर पाइरेसी इंवेस्टीगेशन कंपनी में इंवेस्टीगेशन ऑफीसर के पर कार्य करता है। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर ईत्तला की तस्दीक करने के लिए मन एसएचओ मोहनलाल मय विरेंद्र सिंह एफसी 1030 अंकिर कुमार एफसी 496 मय सरकारी जीप समय 5.25 पीम पर थाने से रवाना होकर 5.30 पीएम पर रघुनाथपुरा टोल बुथ पर पहुंचा तो एक पीकअप आरजे 31 जी 6660 जिसमें एक डीजे साउंड लगा था। उक्त पीकअप के चालक का नाम पता पूछा तो उसने राजेश कुमार पुत्र जगराम निवासी जीणी पीएस सूरजगढ का होना बताया एक व्यक्ति जो गानों को आपरेट कर रहा था उसने उसका नाम अंकित शर्मा पुत्र पवन कुमार शर्मा निवासी वार्ड 13 सूरजगढ़ का होना बताया उक्त व्यक्तियों ने डीजे साउंट का नाम पता पूछा तो धूपिया डीजे साउंड सूरजगढ़ होना बताया। पीकअप पर लगे डीजे में तेज आवाज में एक गाना कोठे चढ़ ललकांरू चल रहा था। उक्त गाड़ी को चैक किया तो पीछे डाले में 04 स्पीकर सेठ कंपनी के, एक सीपीयू टेक कंपनी था। एक मॉनीटर एलजी कंपनी का एक माउस एक कीबोर्ड इंटेक्स कंपनी का एक एम्पीफायर एमटेक कंपनी का था। एक मिक्सर मशीन डीजे एमपी 3 की एक बिजली बोर्ड 13 प्लग का, एक जरनेटर लगा हुआ था। शख्स राजेश कुमार तथा अंकित कुमार को उक्त गाने डीजे पर बजाने बाबत लाइसेंस होने का पूछा तो नहीं होना बताया। तब राजेश व अंकित कुमार द्वारा सार्वजनिक डीजे पर व्यावसायिक गाने बजाने धारा 37, 51, 52ए, 65 ,68ए कॉपीराइट एक्ट

1957 के खिलाफ होने उक्त डीजे साउंड मय उपकरण मय पीकअप जब्त गया। दोनों शख्सों को गिरफतार किया गया। मौके पर फर्द जब्ती तैयार की गई जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर जी से एच व आई से जे आरोपीगण के व के से एल उसके हस्ताक्षर है। एम से एन वापसी थाना नोट अंकित है। जिसके नीचे के से एच उसके हस्ताक्षर है। एफआईआर प्रदर्श पी 7 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। योगेंद्र सिंह द्वारा आरएसआर एक कंपनी तथा इंवेस्टीगेशन आफीसर के तौर पर कार्य करने बाबत पेश किया गए कागजात की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 08 लगायत 13 है। फर्द गिरफतारी आरोपी राजेश व अंकित शर्मा प्रदर्श पी 04 व 05 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है मुलजिमान के हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि अनुसंधान उसके द्वारा नहीं किया गया है रिपोर्ट 23–05–2014 की है जो प्रदर्श पी 6 पूर्व में तैयार की गई थी। उसके साथ जाब्ता में अमित कानिं व विजेंद्र थे। उसके द्वारा प्रकरण में कोई बयान लेखबद्ध नहीं किए गए है।

13 **गवाह पी.ड. 6 योगेन्द्र सिंह** ने सशपथ कथन किया है मै दिनांक 23.05.2014 को शाम की बात है। वह उस वक्त आरएसआर एंटी पायरेसी कंपनी में कार्यरत था। तथा उसको पूर्वी राजस्थान में कम्पनी में कम्पनी के गाने बिना लाईसेंस के लाने से प्रतिबंधित करने एवं कार्यवाही करने के लिए कार्यभार संभला रखा था। उस रोज सूरजगढ़ एरिया में एक पिकअप में डीजे साउण्ड रखकर हमारी कम्पनी प्रतिलिपियार अधिकार का गाना कोठे चढ़ ललकारूं जो कि बिना लाईसेंस चल रहा था एवं गाने का तेज आवाज में प्रसारण किया जा हा था। जिससे कम्पनी को राजस्व का नुकसान हो रहा था। इसकी सूचना उसने एसएचओ सूरजगढ को दो जिस पर एसएचओ मय जाब्ता के टोल बूथ रघुनाथपुरा पर पंहुचे जहां पर पिकअप नंबर आरजे 31 जी 6660 में डीजे साउण्ड लगा हुआ मिला और मौके पर कोठे चढ़ ललकारू गाना चलता हुआ मिला। जिस पर डाईवर सीट पर बैठे व्यक्ति को एसएचओ साहब ने नाम पूछा तो उसने उसका नाम राजेश निवासी जीणी का होना बताया तथा गाना ओपरेट करने वाले व्यक्ति से नाम पूछा तो उसने उसका नाम अंकित निवासी सूरजगढ़ का होना बताया तथा डीजे साउण्ड का नाम धूपिया डीजे साउण्ड होना बताया। पिकअप में चार स्पीकर, सीपीयू मोनिटर, माउस, की बोर्ड, एम्पलीफायर, मिक्सर मशीन, जरनेटर आदि लगे हुए मिले। पिकअप चालक व ओपरेटर से उक्त गाना चलाने बाबत, ओपरेट करने बाबत कोपीराईट लाईसेंस के बारे में पूछा तो लाईसेंस होना नहीं बताया। इस प्रकार उनका यह कृत्य कोपीराईट एक्ट के अन्तर्गत आने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया एवं पिकअप को मय डीजे साउण्ड मय फिक्स उपकरणों सहित जब्त किया गया। इस संबंध में उसके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट प्रदर्श 16 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 7 है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 10 है जिस पर ओ से पी उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी राजेश की प्रदर्श पी 4 एवं मुलजिम अंकित की प्रदर्श पी 5 है जिन पर दोनों पर आई से जे उसके हस्ताक्षर है। उपरोक्त गाना कोठे चढ ललकारूं जो कि वक्त घटना मुलजिमान द्वारा बिना लाईसेंस ओपरेट किया जा रहा था को परख कैसेट्स इंडस्टीज का था जिसके द्वारा हमारी कम्पनी आरएसआर एंटी पायरेसी कम्पनी के साथ

टाईअप था जो कि टाईअप पत्रावली पर प्रदर्श पी 11 व पी 12 है। तथा गाना कोठे चढ ललकारूं कम्पनी परख इन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड के कोपीराईट के अन्डर होने के दस्तावेज प्रदर्श पी 14 है तथा हमारी कम्पनी आरएसआर इंटरप्राईजेज का फर्म रजिस्टेशन प्रदर्श पी 9 है। कम्पनी द्वारा उसको ओथोराईज करने संबंधित प्राधिकार प्रदर्श पी 15 है। कम्पनी का निगमन प्रत्र प्रदर्श पी 10 है। जो कि उसनें अनुसंधान के दोरान अनुसंधान अधिकारी को पेश कर दिये थे। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि जो गानों का दुरूपयोग कर रहे हैं और टैक्स का नुकसार पहुंचा रहे है जो गाने कंपनी ने मनोरंजन के लिए बना रखे है उनको बेचकर पैसा कमा रहे हैं इसके सरकार और कंपनी को नुकसान हो रहा है। उसने रिपोर्ट करीब पांच से साढे पांच बजे के करीब दर्ज करवाई थी।

14. हस्तगत प्रकरण में समस्त साक्षीगण की साक्ष्य का विवेचन विश्लेषण किया गया। प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाह संख्या पीडब्ल्यू 1 विजेंद्र सिंह है जो कि प्रकरण में नक्शा मौका व फर्द जब्ती वाहन पिकअप गाडी नंबर आरजे 31 जी 6660 का गवाह है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए कि दिनांक 23–05–2014 को सूरजगढ़ थाने में कानि के पद पर था तब उस दिन थानाधिकारी के साथ वो और अमित कानि एंटीपायेरसी इंवस्टीगेशन ऑफिसर की इत्तला पर टोल बूथ पर गए थे। जहां पर उन्हें पिकअप नंबर आरजे 31 जी 6660 में डीजे साउंड लगा हुआ मिला व उसमें ड्राइवर राजेश व अंदर व्यक्ति गाना आपरेट करते हुए मिला जिसका नाम अंकित था । जिस गाने को उन्हें सार्वजनिक रूप से बजाने बाबत कोई लाइसेंस होना नहीं बताया। जिसके बाद पिकअप गाडी जब्त की गई नक्शा मौका बनाया गया। गवाह ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 व नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किए। उक्त दस्तावेजों की ताईद की। गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में किए गए कथनों का खंडन किसी भी रूप से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने जिरह नहीं किया गया है। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 2 ऋषिपाल है जो कि प्रकरण में मालखाने रजिस्टर का गवाह है जिसने कथन किए कि एफआईआर नंबर 140/14 में थानाधिकारी मोहनलाल द्वारा एक पिकअप गाडी आरजे 31 जी 6660 व उसके अंदर से स्पीकर, कीबोर्ड बिजली का बोर्ड, माउस, सीपीयू, मोबाइल आदि सामान जब्त किए गए थे। गवाह ने मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 3ए पर अपने हस्ताक्षर माल का विवरण आदि होना स्वीकार किया गया व उक्त दस्तावेज की ताइद की। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 3 विकास कुमार है जिसने प्रकरण में घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में भी देखा जा सकता है। जिसने यह कथन किए कि दिनांक 23–05–14 को वो आरएसआर एंटी पायेरेसी इंवेस्टीगेशन में कर्मचारी था व उस दिन सूरजगढ़ एरिया में टोल के पास बिना लाइसेंस के डीजे साउंड पिकअप में रखकर गानों का प्रसारण कर बिक्री कर रहे थे तो गवाह ने उक्त घटना की सूचना एसएचओ सूरजगढ को दी जिस पर एसएचओ सूरजगढ़ अमित कुमार आदि लोग एक जीप में रघुनाथपुरा टोल पर पहुंचे और पिकअप गाडी से सीपीयू, मॉनीटर सामान आदि जब्त किया गया व पिकअप में राजेश व अंकित नाम के व्यक्ति मिले, जिन्होंने अपने पास उस गाने को बचाने का लाइसेंस नहीं होना बताया। गवाह ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 4 व मुलजिम अंकित प्रदर्श पी

5 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किए व दस्तावेजों की ताइद की। उक्त गवाह से जिस दिन मुख्य परीक्षा लेखबद्ध की गई उस दिन जिरह नहीं की गई व गवाह के बयान डैफर किए गए। जिसके पश्चात गवाह से जिरह 29–04–2026 को की गई। जिसमें जिरह के दौराने गवाह ने कथन किए कि प्रकरण काफी पुराना होने के कारण व आज प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितयों से परिचित नहीं है। इसके अतिरिक् अभियोजन द्वारा अन्य गवाह पीडब्ल्यू 4 अमित कुमार को न्यायालय के समक्ष पेश कराया गया जिसने भी यहीं कथन किए कि 23–05–14 को योगेंद्र सिंह जो की आरएसआर एंटी पायेरेसी कंपनी में इंवेस्टीगेशन ऑफिसर था। उसने थाने में एसएचओ साहब को प्रार्थना पत्र दिए व बताया कि टोल बूथ के पास डीजे साउंड या बिना लाइसेंस के गाना बजा रहे है जिसके पश्चात थानाधिकारी मोहनलाल, अमित व विकास व विजेंद्र वहां से कार्यवाही के लिए रवाना हुए। गवाह ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1, फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 4,पी 5 नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किए। उक्त दस्तावेजों की ताइद की। गवाह ने जिरह में यह कथन किए कि उनके द्वारा कोई डीवीडी या सीडी जब्त नहीं की गई जो सीपीयू जब्त किया गया था उसमें कुल कितने गाने डाउनलोड थे ये भी उनके द्वारा चैक नहीं किया गया। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 5 मोहनलाल गुर्जर है जो कि प्रकरण में एफआईआर व तहरीरी रिपोर्ट के गवाह है जिन्होंने कथन किए कि वह 23–05–14 को सूरजगढ में थानाधिकारी के पद पर था तब योगेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति जो कि आरएसआर एंटी पायेरेसी इंवेस्टीगेशन कंपनी में ऑफिसर था। उनकी सूचना पर गांव रघुनाथपुरा टोल गए थे और वहां पर एक पिकअप गाडी नंबर आरजे 31 जी 6660 एक डीजे साउंड लगा था जिसमें अवैध रूप से गाने बजाए जा रहे थे जिसका कोई लाइसेंस वगैरा गाना बजाने वालों के पास नहीं था। गवाह ने स्पष्ट रूप से अपने मुख्य परीक्षा में कथन किए कि पिकअप में राजेश कुमार व अमित कुमार नाम के व्यक्ति मिले जिसमें साथ ही धूपिया डीजे साउंड में तेज आवाज में एक गाना कोठे चढ ललकारू चल रहा था। उक्त वाहन से स्पीकर, सीपीयू, माउस वगैर जब्त किया। गवाह ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 6, चॉक एफआईआर प्रदर्श पी 7 पर अपने हस्ताक्षर होने स्वीकार किए व उसकी ताइद की। साथ ही गवाह द्वारा प्रदर्श पी 8 लगायत पी 13 भी पेश किए गए जो कि योगेंद्र सिंह के द्वारा प्रस्तुत आरएसआर एंटी पायेरेसी इंवेस्टीगेशन कंपनी में बतौर इंवेस्टीगेशन ऑफिसर के तौर पर कार्य करने बाबत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है। इसके अतिरिक्त गवाह ने राजेश व अंकित की फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 4 व पी 5 पर भी अपने हस्ताक्षर होने स्वीकार किए। गवाह ने जिरह में यह कथन किए कि प्रकरण में अनुसंधान उसके द्वारा नहीं किया गया। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 6 योगेंद्र सिंह है जो कि प्रकरण में परिवादी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए कि वह आरएसआर एंटी पायेरेसी इंवेस्टीगेशन कंपनी में काम करता है उसके द्वारा पूर्वी राजस्थान में बिना लाइसेंस के गाने बजाने पर प्रतिबंध करने के लिए कार्य दिया गया है। गवाह ने स्पष्ट रूप से बताया कि सूरजगढ़ एरिया में एक पिकअप गाडी में डीजे साउंड रखा हुआ था जिसमें कोठे चढ ललकारू गाना बना लाइसेंस के चल रहा था व तेज आवाज में चल रहा था जिसकी सूचना उसके द्वारा एसएचओ सूरजगढ़ को दी गई। मौके पर से राजेश व अमित

को गिरफतार किया गया। पिकअप चालक व ऑपरेटर द्वारा गाना चलाने बाबत कोई भी लाइसेंस नहीं होना बताया। जिस कारण से उसे कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत गिरफतार किया गया। गवाह ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी 10 व चॉक एफआईआर प्रदर्श पी 7 तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किए। गवाह ने यह भी कथन किए कि गाना कोठे चढ ललकारू परख कैसेट कंपनी का था जिसका आरएसआर इंवेस्टीगेशन कंपनी से टाईअप था। गवाह ने टाईअप प्रदर्श पी 11 प्रदर्श पी 12 पत्रावली पर होने के कथन किए व साथ ही गाना कोठे चढ ललकारू कंपनी परख इंटरटेमेंट प्राइवेट लिमिटेड को अंतर्गत कॉपीराइट होने के भी दस्तावेज पेश किए गए। जो कि प्रदर्श पी 4 है साथ ही आरएसआर फर्म का रजिस्ट्रेशन भी पेश किया गया जो कि प्रदर्श पी 9 है इसके अतिरिक्त गवाह ने स्वंय का ऑथोराइजेशन के संबंध में भी दस्तावेज पेश किए गए जो कि प्रदर्श पी 15 है। जिरह के दौराने गवाह ने यह स्पष्ट रूप से कथन किए उसके द्वारा पत्रावली में गानों की रजिस्ट्री पेश की है उसके द्वारा रिपोर्ट करीबन 5–5.30 बजे दर्ज करवाई गई थी ।

15. अभियोजन पक्ष द्वारा जिन गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है उनमें गवाह संख्या पीडब्ल्यू 1 विजेंद्र ने फर्द जब्त व चॉक व नक्शा की ताइद की व उक्त गवाह के किए गए कथन जिरह के दौराने अखंडनीय रहे। पीडब्ल्यू 2 ऋषिपाल ने मालखाना के संबंध में कथन किए व मालखाना के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों की ताइद की गई। प्रकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण गवाह के रूप में जो न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है वह पीडब्ल्यू 6 योगेंद्र सिंह है जिसने अपनी तहरीरी रिपोर्ट व एफआईआर में दिए गए तथ्यों की ताइद की। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि दिनांक 23–05–14 को 5–5.30 बजे के लगभग अभियुक्तगण आरएसआर इंवेस्टीगेशन गंपनी से अनुबंधित गाने को बिना किसी लाइसेंस अथवा अधिकार के बजा रहा था। अभियुक्तगण के पास कोई भी अनुज्ञप्ति गाने को डाउनलोड करने या रिकोर्ड करने की अनुमति नहीं थी। इस संबंध में न्यायालय को यह मत है कि अभियोजन द्वारा समय 5.30 बजे पर रघुनाथपुरा पोल पर एक पिकअप गाडी जिसके डीजे साउंड लगा था उसमें बिना किसी वैध लाइसेंस के आरएसआर एंटी पायरेसी कंपनी से अनुबंधित गाना बजाया जा रहा था उक्त गाना कोठे चढ ललकारू कंपनी परख इंटरप्राइजेज का प्राइवेट लिमिटेड कॉपीराइट के अधीन है इस संबंध में दस्तावेज प्रदर्श पी 14 पत्रावली में पेश है। जिससे यह साबित होता है कि उक्त गाना परख इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के अधीन था। जहां तक कि गाने को अवैध यप से बताए जाने का प्रश्न है तो गवाह संख्या पीडब्ल्यू 3 विकास कुमार पीडब्ल्यू 4 अमित कुमार व पीडब्ल्यू 5 मोहनलाल गुर्जर सभी ने अपने बयानों में यह कथन किए कि धूपिया डीजे पिकअप पर तेज आवाज में उक्त गाना कोठे चल ललकारू चल रहा था व साथ ही पिकअप पर मोजूद व्यक्ति राजेश कुमार व ऑपरेटर अमित कुमार द्वारा यह स्पष्ट रूप से जाहिर किया गया कि उनके पास उक्त गाने को बजाने बाबत कोई भी लाइसेंस नहीं है। जहां तक परिवादी योगेंद्र सिंह का परख कैसेट इडूस्ट्रीज कंपनी के साथ टाईअप था या नहीं इस संबंध में अभियोजन द्वारा प्रद्रश पी 11 व पी 12 पेश किए गए है जो कि टाईपअप के संबंध

में दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त् योगेंद्र सिंह को अथोराइज करने बाबत भी दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद है जो कि प्रदर्श पी 15 है जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि आरएसआर इंवेस्टीगेशन कंपनी की ओर से योगेंद्र सिंह पुत्र दुर्गा सिंह को आर्थोराइज् किया जाता है। पत्रावली में नक्शे मौका पर फर्द जब्ती फर्द गिरफतारी एफआईआर तहरीरी रिपोर्ट आदि समस्त दस्तावेजों की ताईद गवाह संख्या पीडब्ल्यू 5 मोहनलाल द्वारा की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 23–05–14 को समय करीब 5.30 पीएम में लगभग सूरजगढ में रघुनाथपुरा टोल के पास एक पिकअप आरजे 31 जी 6660 जिसमें राजेश कुमार था व अन्य व्यक्ति जो कि डीजे आपरेट कर रहा था उसका नाम अमित शर्मा था। उक्त दोनों व्यक्तियों के द्वारा आरएसआर इंवेस्टीगेशन कंपनी से अनुबंधित गाना जिसका अभियुक्तगण को कोई कॉपीराइट नहीं था उसका उपयोग किया जा रहा था, साथ ही अभियुक्तगण के द्वारा कॉपीराइट संबंधी की अनुज्ञप्ति के बिना गाना डाउनलोड किए जाने, रिकोर्ड किए जाने व उनके प्रकाश किया जा रहा था जिसका कोई भी वैध लाइसेंस अभियुक्तगण के पास नहीं था। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 51/63,52ए/68ए,37, 65 कॉपी राईट एक्ट 1957 में दोषसिद्ध किया जाता है।

<u>आदेश</u>

1. परिणामतः अभियुक्तगण **1. राजेश कुमार पुत्र जगराम उम्र 28 साल निवासी जीणी थाना सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान 2. अंकित शर्मा पुत्र पवन कुमार शर्म उम्र 20 साल निवासी वार्ड नंबर 13 सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान को** आरोपित आरोप अं. धारा 51/63,52ए/68ए,37, 65 कॉपी राईट एक्ट 1957 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(आशीष जयपाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजगढ

<u>सजा के प्रश्न पर सुना गया।</u>

2. अभियुक्त के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है। लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत रही है। अतः उन्हें परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। इसके विरोध में अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि अभियुक्त के विरूद्ध बिना कॉपीराइट लाइसेंस के डीजे साउंड बजाने का गम्भीर प्रकृति का अपराध है। अभियुक्त का प्रथम अपराध है आदि । अतः अभियुक्त को कड़े से कड़ा दण्ड दिया जावे।

3. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त के कब्जे से पिकअप में चार स्पीकर, सीपीयू, मोनिटर, माउस, की बोर्ड, एम्पलीफायर, मिक्सर मशीन, जरनेटर लगे हुए थे एवं पिकअप को मय डीजे साउंड मय फिक्स उपकरणों सहित जब्त् किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कॉपीराइट संबंधी अनुज्ञप्ति

लाइसेंस के बिना गाना डाउनलोड व रिकॉर्ड कर उसका प्रकाशन करना धारा 51/63,52ए/68ए,37, 65 कॉपी राईट एक्ट 1957 के अपराध में दोषसिद्ध पाया जात है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में दोषसिद्धि का कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अतः प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

– आदेश:–

19. अतः अभियुक्तगण **1. राजेश कुमार पुत्र जगराम उम्र 28 साल निवासी जीणी थाना सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान 2. अंकित शर्मा पुत्र पवन कुमार शर्म उम्र 20 साल निवासी वार्ड नंबर 13 सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान को** आरोपित आरोप अं. धारा **51/63,52ए/68ए,37, 65 कॉपी राईट एक्ट 1957** के अपराध में दोषी पाए जाने के फलस्वरूप धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम के तहत परिवीक्षा का लाभ इस शर्त के साथ दिया जाता है कि यदि अभियुक्त पांच हजार रुपये का निजी मुचलका एवं इसी राशि का एक जमानती न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश करें कि वह आगामी एक साल तक भारत सरकार तथा नागरिकों के प्रति सचरित्र बनाए रखेंगे एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होंगे तथा उक्त शर्तों का भंग करने पर न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर सजा भुगतने हेतु हाजिर अदालत रहेगा तो यह परिवीक्षा पर रहे। साथ ही परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रत्येक अभियुक्त 500/– {अक्षरे पांच सौ रुपये} बतौर अभियोजन व्यय न्यायालय में जमा कराए।

35. साथ ही अभियुक्त को धारा 437ए सीआरपीसी के तहत दस हजार रुपये का निजी बंध पत्र एवं इसी राशि का एक जमानती आगामी छः माह के लिए इस आशय का पेश कर तस्दीक करावे कि वह माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर स्वयं को उक्त न्यायालय में उपस्थित रखेगा। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दिलाई जावे।

(आशीष जयपाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजगढ

36. निर्णय आज दिनांक 24.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष जयपाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़